प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

आयोजनागत
संख्याः /I(2)/2014-07/03/2012

ऊर्जा अनुभाग–2,

देहरादूनः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2014

विषयः– ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु अंशपूजी के रूप में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 802/प्र0नि0/पिटकुल/जी–1 दिनांक 03.07.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 पी0एफ0आर0–04 परियोजनान्तर्गत 400 के0वी0 श्रीनगर– काशीपुर लाईन के निर्माण हेतु ₹ 52.77 करोड (₹ बावन करोड सतहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अंशपूजी के रूप में व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– ए0डी0बी0 से प्राप्त होने वाली प्रथम किश्त से उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का दिनांक 30.03.2015 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

8– ए0डी0बी0 से ऋण की किश्तों का आहरण निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का कियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा ।

.....2

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 263 /XXVII(2)/2014, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्याः 2590 /I(2)/2014-07/03/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबाराय बिलिडिंग सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, (आडिट) इन्द्रानगर देहरादून।
3– जिलाधिकारी देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– चीफ़ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
7– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवायल परिसर देहरादून।
9– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक– यथोक्त।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः /I(2)/2014-07-03/2012, दिनांक अक्टूबर, 2014 का संलग्नक 'क'

विषयः– ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–05–पारेषण एवं वितरण– 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–97–वाहय सहायतित योजना–9701–पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश–30–निवेश/ऋण	4169.00
2	30	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–05–पारेषण एवं वितरण– 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–97–वाहय सहायतित योजना–9701–पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश–30–निवेश/ऋण	950.00
3	31	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–05–पारेषण एवं वितरण– 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–97–वाहय सहायतित योजना–9701–पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश–30–निवेश/ऋण	158.00
		योग :–	5277.00

कुल ₹ 5277.00 करोड़ (₹ बावन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।